



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कमलकर (एच.डी.ओ.) मुकाम बनौर
बनौर बनाम शंकर सिंह
 म मुकदमा 128 नं. 55 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-4-18	<p>वाद/प्रार्थना पत्र वाद जांच प्राप्त हुआ। जिसे दर्ज शिफ्ट किया जावे। प्रतिवादीगण को जारी समन तलब किया जावे, फिलहाल वाद पर समन बहिष्कार दिनांक 28-11-18 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कमलकर (SDO) बनौर </p>	
28-11-18	<p>पत्रक पेश हुई। कार संप नाम हुजूराल/शोकसभा/न्यायिक पेश की कार्य रक्षा में क्या गया है पीठासीन अधिकारी महोदय हुजूराल/अन्य राजस्व कार्य प्रमाण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 6-2-19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  शंकर सहायक कमलकर बनौर </p>	
06-2-2018	<p>पत्रावली पेश हुई। कबिल मंत्री उपायित/विपक्षी की ओर से कोई उपायित नहीं। विधिकत आवार्जे लगवाई गई किन्तु कोई उपायित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बनौर को तहरीर जारी कर आदेश की पालना कावत लिहा जावे।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रार्थना पत्र का प्रार्थना पत्र कावत पत्रावली स्वीकार किया जाकर पत्रावली किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बनौर को तहरीर जारी कर आदेश की पालना</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जाय
	<p> साबत लिला जौ / पत्रावली जैसलधुगार होकर दाखिल दफतर हो क नम्बर से कम हो (1) </p> <p style="text-align: right; color: blue;"> 6 मार 2018 </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

कमांक/रा.लो./कोर्ट/2019//78

दिनांक- 18-2-19

प्रेषिति-



तहसीलदार, बदनोर

(दौ प्रतियो में)

विषय-मु.त.प्र.सं 55/2018 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम।

आदेश दिनांक:-06.02.19 की पालनार्थ बाबत

अनवान

1. नेनुसिंह पिता मेन्दु रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. जमना पिता मेन्दु रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. नेनी पत्नि मंगला रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. पुनमसिंह पिता मेन्दु रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. शांता पुत्री मेन्दु रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
6. सवाईसिंह पिता मंगला रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा। -प्रार्थी

बनाम

1. शंकरसिंह पिता गोपालसिंह रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. प्रेमसिंह पिता लालुसिंह रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. भोलसिंह पिता देबीसिंह रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. मिसरुसिंह पिता देबीसिंह रावत निवासी चतरपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बदनोर जिला भीलवाडा। -विपक्षीगण

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता संख्या 307 की आराजी नम्बर 958 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। अतएवं पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय तामिलि सूचना रिपोर्ट सहित इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवावे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)